

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक-1688 / अमरोहा / 30135 / 2017 दिनांक, लखनऊ, फरवरी 22, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय : अमरोहा में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (NH-24) किमी० 126 चैनेज 125.732 की बायीं पट्टरी पर ग्राम-नारांगपुर के गाटा सं०-41 पर एस्सार ऑयल लि० (वर्तमान में नयारा एनर्जी लि० नोयडा) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/०1/2019/एफ०सी०/570, दिनांक-08.01.2019

महोदय,

भारत सरकार के पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वांछित अभिलेख वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-2258 / 14-1, दिनांक 21.02.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 21.02.2019 की दो मूल प्रतियाँ सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक -1688 / अमरोहा / 30135 / 2017, उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, मै० न्यारा एनर्जी लि०, 2314-तृतीय तल, टावर ए. द कोरिएन्थम, ए-41, से०-62, नोएडा।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।